<u>कार्यालयीन प्रयोग के लिए</u>

भारत सरकार

वायदा बाजार आयोग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

1. अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952
2. अग्रिम संविदा (विनियमन) नियमावली, 1954
3. उन मदों की सूची, जिनमें वायदा व्यापार निषिध्द है या विनियमित है।

"एवरेस्ट", तीसरी मंजिल, 100, मरीन ड्राईव,
मुंबई - 400 002.

फैक्स नं. 022-22812086 / टे. नं. 022-22811262
ई मेल - fmc@bom5.vsnl.net.in
वेबसाइट - www.fmc.gov.in

जुलाई, 2003

<u>विषय सूची</u>

क्रम सं.	विषय
1.	अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952
2.	अग्रिम संविदा (विनियमन) नियमावली, 1954
3.	सूची - I, वे वस्तुएं, जिनपर धारा 15 लागू की गई है, अर्थात् विनियमित वस्तुएं
4.	सूची - II, वे वस्तुएं, जिनमें धारा 17 के अंतर्गत अग्रिम संविदा निषिध्द है
5.	सूची - III, वे वस्तुएं, जिनमें धारा 18 (3) के अंतर्गत, अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा भी निषिध्द है।
6.	सूची - IV, वे वस्तुएं जिनमें अंनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को भी, अधिनियम की धारा 18 (3) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 15 लागू की गई है।
7.	सूची - I, II, III तथा IV पर टिप्पणी
8.	विभिन्न निर्धारित फार्म

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952
(1952 का अधिनियम सं. 74)

उद्देश्य और कारण :- अग्रिम संविदाओं से संबंधित कतिपय विषयों के विनियमन के लिए, माल विकल्प करार के प्रतिषेध के लिए और उनसे संबद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

अध्याय- 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(1) इस अधिनियम का संक्षित नाम अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) अध्याय I तुरन्त प्रवृत्त होगा और शेष उपबन्ध ऐसी तारीख या तारीखों को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए, विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के लिए और विभिन्न माल या माल के वर्गों के लिए विभिन्न तारीखें, नियत की जा सकती हैं।

2. परिभाषाएं :- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्य या अपेक्षित न हो-

(क) **"संगम"** से किसी माल के क्रय या विक्रय के कारबार का विनियमन और नियंत्रण करने के प्रयोनज के लिए गठित व्यक्तियों निकाय अभिप्रेत है चाहे वह नियमित हो या नहीं,

(ख) **"आयोग"** से धारा 3 के अधीन स्थापित वायदा बाजार आयोग अभिप्रेत है,

(ग) **"अग्रिम संविदा"** से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जो किसी माल के परिदान के लिए है और जो तुरन्त परिदान संविदा नहीं है,

(घ) **"माल"** से अनुयोज्य दावे, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न सभी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है।

(ङ) **"सरकारी प्रतिभूति"** से लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूति अभिप्रेत है,

(च) **"अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट माल संविदा"** से अभिप्रेत है ऐसी विनिर्दिष्ट माल संविदा, जिसके अधीन या जिससे संबंधित किसी परिदान आदेश, रेल रसीद, वहन-पत्र, भाण्डागार रसीद या हक की किसी अन्य दस्तावेज के अधीन अधिकार या दायित्व अनंन्तरणीय है।

(छ) **"माल विकल्प करार"** से भविष्य में माल के क्रय का विक्रय करने के अधिकार के, या क्रय और विक्रय करने के अधिकार के, क्रय या विक्रय के लिए करार अभिप्रेत हैं, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, और इसके अन्तर्गत माल में तेजी, मंदी, तेजी-मंदी गल्ली, पुट, कौल या पुट एण्ड कौल है,

(ज) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(झ) **"तुरंत परिदान संविदा"** से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसमें या तो तुरंत या संविदा की तारीख के पश्चात ग्यारह दिन से अधिक की ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी शर्तो के अधीन, जो किसी माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, माल के परिदान तथा उसकी कीमत के संदाय के लिए उपबन्ध है और ऐसी संविदा के अधीन अवधि उसके पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से या अन्यथा नहीं बढाई जा सकती है परन्तु यदि किसी ऐसी संविदा का पालन या तो पूर्णतः या भागत :-

1. उसके किसी ऐसी पक्षकार द्वारा (जो कमीशन अभिकर्ता या बैंक नहीं है), जिसने उक्त दस्तावेजों का स्वामित्व क्रय द्वारा, विनियमय द्वारा या अन्यथा अर्जित किया है किसी अन्य व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत कमीशन अभिकर्ता है किन्तु बैंक नहीं है) उस संविदा के अंतर्गत आनेवाले माल के हक की दस्तावेजों की निविदा द्वारा, अथवा

2. किसी ऐसी धनराशि की, जो संविदा दर और निपटान दर अथवा समाशोधन दर या किसी मुजराई संविदा की दर के बीच के अंतर के बराबर हो, वसूली द्वारा, अथवा

3. किन्ही अन्य साधनों द्वारा, किया गया है और जिसके परिणामस्वरुप संविदा के अंतर्गत आने वाले माल के वास्तविक निविदान या उसकी पूरी कीमत के संदाय से छूट दे दी गई है तो ऐसी संविदा तुरंत परिदान संविदा नहीं समझी जाएगी।

स्पटीकरण :-

(i). बैंक के अंतर्गत, बैंककारी विनियमन अधिनियन, 1949 (1949 का 10) में यथापरिभाषित कोई, बैंककारी कम्पनी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) में यथापरिभाषित कोई सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा उसका कोई समनुषंगी बैंक और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक है,

(ii). "कमीशन अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारबार के मामूली अनुक्रम में, दूसरों के लिए माल के क्रय या विक्रय की संविदा ऐसे पारिश्रमिक के लिए (चाहे वह कमीशन के नाम से ज्ञात हो या अन्यथा) करता है जो दोनों में से किसी भी दशा में, संविदा में नियत माल के परिमण या उसकी कीमत के प्रति निर्देश से या तो संविदा में ही अवधारित है या संविदा के निबन्धनों से अवधारित की जा सकती है

(ञ) **मान्यताप्राप्त संगम** से ऐसा संगम अभिप्रेत है जिसे धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी मान्यता में विनिर्दिष्ट माल के वर्गो की बाबत तत्समय मान्यता दी गई है,

(ट) **रजिस्ट्रीकृत संगम** से ऐसा संगम अभिप्रेत है जिसे धारा 14 (ख) के अधीन आयोग द्वारा तत्समय रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है,

(ठ) **नियम** के अन्तर्गत, किसी संगम के गठन और प्रबन्ध से साधारण तया सम्बन्धित नियामें के प्रति निर्देश से, किसी निगमित संगम की दशा में उसके संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हैं,

(ड) **प्रतिभूति** के अन्तर्गत किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में या उसके शेयर, स्क्रिप, स्टाक, बन्धपत्र दिबैंचर स्टाक, या इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूतियाँ हैं और सरकारी प्रतिभूतियाँ भी है,

(ढ) **विनिर्दिष्ट माल संविदा** से ऐसी अग्रिम संविदा अभिप्रेत है जिसमें भविष्य की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरन विनिर्दिष्ट क्वालिटी या प्रकार के माल के ऐसी कीमत पर, जो संविदा द्वारा नियत की गई है या संविदा द्वारा करार पाई गई रीति से नियत की जाने वाले हैं, वास्तविक परिदान के लिए उपबन्ध है और जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों के नाम शामिल हैं,

(ण) **अन्तरणीय विनिर्दिष्ट माल संविदा** से ऐसी संविदा विनिर्दिष्ट माल संविदा अभिप्रेत है जो अंतरणीय विनिर्दिष्ट माल संविदा नहीं है और जो अपनी अंतरणीयता के बारे में ऐसी शर्तों के अधीन है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय- 2
वायदा बाजार आयोग

3. वायदा बाजार आयोग की स्थापना और गठनः-

1. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वायदा बाजार आयोग नामक एक आयोग की स्थापना ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए कर सकती है जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस आयोग को सौंपे जाएं।
2. आयोग में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम दो (किन्तु चार से अनधिक) सदस्य होंगे, उनमें से एक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, और अध्यक्ष और अन्य सदस्य या सदस्यगण या तो पूर्णकालिक होंगे या अंशकालिक, जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश देः

परन्तु इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जो वाणिज्य या मण्डी से संबंधित समस्याएं हल करने में, या प्रशासन में क्षमता रखते हैं, या जिन्हें किसी ऐसे विषय का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है जिसके कारण वे आयोग में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

3. कोई भी व्यक्ति आयोग के सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए या सदस्य के रुप में बने रहने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि उसका प्रत्यक्षतः ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित है जिससे आयोग के सदस्य के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है, और प्रत्येक सदस्य, जब कभी केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, उसे ऐसी जानकारी देगा जिसकी वह इस उपधारा के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे।
4. आयोग का कोई भी सदस्य अपनी, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा, और अपनी पदावधि की समाप्ति पर अपना पद-त्याग करने वाला सदस्य पुननियुक्ति का पात्र होगा।
5. आयोग के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन वे होंगे जो विहित किए जाएं।

4. आयोग के कृत्य :-

(क) केन्द्रीय सरकार को किसी संगम को मान्यता देने या उसकी मान्यता वापस लेने के संबंध मेंय या इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाली किसी अन्य बात के संबंध में सलाह देना।

(ख) वायदा बाजार पर निगाह रखना और उसके बारे में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसको सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी कार्रवाई करना जो वह आवश्यक समझे

(ग) ऐसे माल की बाबत जिसको इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू होते हैं व्यापार की परिस्थितियों के बारे में जानकारी, जिसके अंतर्गत प्रदाय, मांग और कीमत के बारे में जानकारी भी है, एकत्र करना और उन्हें जब कभी आयोग आवश्यक समझे। प्रकाशित करना और केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में और ऐसे माल के बारे में वायदा बाजार के कार्यकरण के संबंध में नियतकालिक रिपोर्ट देना,

(घ) साधारणतः वायदा बाजार के संघटन की उन्नति और कार्यकरण की दृष्टि से सिफारिशें करना,

(ङ) जब कभी यह आवश्यक (समझे तब किसी मान्यताप्राप्त संगम या रजिस्ट्रीयकृत संगम या ऐसी संगम के किसी सदस्य के) लेखाओं और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करना और

(च) ऐसे अन्य कृत्यों पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो आयोग को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सौंपी जाएं या जो विहित की जाएं।

4 क. आयोग की शक्तियाँ :-

1. आयोग को, अपने कृत्यों के निर्वहन में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत का विचारण करते समय सिविल न्यायाल की सब शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:

   (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

   (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना,

   (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्ष्या करना,

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

2. आयोग को किसी भी व्यक्ति से, ऐसे विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका वह व्यक्ति तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा कर सकता है, ऐसी बातों या विषयों के बारे में जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी मामले में उपयोगी या सुसंगत हो और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिससे इस प्रकार अपेक्षा की जाए, यह समझ जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 276 (1860 का 45) के अर्थ में ऐसी जानकारी देने के लिए वैध रुप से आबद्ध है।

3. आयोग सिविल न्यायालय समझ जाएगा और यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, धरा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 (1860 का 45) में वर्णित कोई अपराध आयोग ी दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है तो आयोग, उन तथ्यों को जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में उपबन्धित प्रकार से अभिलिखित करने के पश्चात, मामला उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और वह मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की सुनवाई करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला उक्त संहिता की धारा 482 के अधीन भेजा गया है।

4. आयोग के समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और धारा 228 (1860 का 45) के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझे जाएगी।

स्पष्टीकरण :- साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनों के लिए आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमा भारत के राज्यक्षेत्र की सीमा होगी।

अध्याय- 3
मान्यताप्राप्त संगम

5. संगमों की मान्यता के लिए आवेदन-

1. अग्रिम संविदाओं के विनियमन और नियंत्रण से सम्पृक्त कोई संगम जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्रात करने का इच्छुक है केन्द्रीय सरकार को विहित रीति से आवेदन कर सकता है

2. उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में ऐसी विशिष्टियाँ होगी जो विहित की जाएं और उसके साथ अंग्रिम संविदाओं के विनियमन और नियंत्रण से सम्बद्ध उपविधियों की एक प्रति होगी और साथ ही साधारणतया संगम के गठन से और विशिष्टतया निम्नलिखित से संबंधित नियमों की एक प्रति होगी, अर्थात्:-

(क) ऐसे संगम का शासी निकाय, उसका गठन और प्रबन्ध की शक्तियाँ और वह रीति जिससे उसका कारबार चलाया जाना है,

(ख) संगम के पदाधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य,

(ग) संगम में सदस्यों के विभिन्न वर्गों का प्रवेश, सदस्यों की अर्हताएं और सदस्यों का संगम से अपवर्जन, निलम्बन और निष्कासन तथा उसमें पुनः प्रवेश

(घ) संगम के सदस्यों के रुप में भागीदारियों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और प्राधिकृत प्रतिनिधियों और लिपिकों का नामनिर्देशन और नियुक्ति।

6. संगम को मान्यता का दिया जाना :-

1. यदि केन्द्रीय सरकार, का ऐसी जाँच के पश्चात जो इस निमित्त आवश्यक हो, तथा ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसकी वह अपेक्षा करे और समाधान हो जाता है कि यह व्यापार के हित में और लोक हित में होगाा कि ऐसे संगम को, जिसने धारा 5 के अधीन आवेदन किया है, मान्यता दे दी जाए तो वह संगम को, ऐसे प्रारुप में और ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित या विनिर्दिष्ट कीी जाएं, मान्यता दे सकती है और ऐसी मान्यता में उस माल या माल के वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनकी बाबत ऐसे संगम के सदस्यों की बीच या ऐसे सदस्य के बीच या ऐसे सदस्य के माध्यम से या ऐसे सदस्य से अग्रिम संविदाएं की जा कती हैं।

2. उपधारा (1) के अधीन मान्यता देने के पहले, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि,-

(क) संगम के सदस्यों की संख्या के बारे में कोई सीमा नहीं होगी या सदस्यों की संख्या के बारे में ऐसी सीमा होगी जो विनिर्दिष्ट की जाए,

(ख) संगम केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधि के रुप में एक व्यक्ति की, चाहे वह संगम का सदस्य हो या न हो, ऐसे संगम के शासी निकाय में, और उन हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका प्रतिनिधित्व संगम की सदस्यता के माध्यम से नहीं हुआ है, तीन से अनधिक व्यक्तियों की ऐसे संगम के शासी निकाय के सदस्य या सदस्यों के रुप में नियुक्ति का उपबंध करेगा, और संगम से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे किसी निदेश को उससे संलग्न शर्तों को, यदि कोई हो, अपने नियमों में सम्मिलित करे।

3. किसी मान्यताप्राप्त संगम को कोई नियम केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना संशोधित नहीं किए जाएंगे।

4. इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक मान्यता भारत के राजपत्र में और उस राज्य के राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएगी जिसमें मान्यताप्राप्त संगम का प्रधान कार्यालय स्थित है और ऐसी मान्यता भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

7. मान्यता का वापस लिया जाना :-यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस अधिनियाम के उपबन्धों के अधीन किसी संगम को दी गई मान्यता, व्यापार के हित में या लोक हित में, वापस ले ली जानी चाहिए तो उस मामले में संगम को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त संगम को दी गई मान्यता वापस ले सकती है।

परन्तु ऐसी कोई वापसी, अधिसूचना की तारीख से पहले की गई किसी संविदा ककी विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी, और केन्द्रीय सरकार वापसी की अधिसूचना में या इसी प्रकार प्रकाशित किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना में, उस तारीख को विद्यमान संविदाओं के सम्यक पालन के लिए ऐसा उपबन्ध कर सकती है जो वह ठीक समझे।

8. नियतकालिक विवरणियाँ या जाँच किए जाने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

1. प्रत्येक मान्यताप्राप्त संगम, यथास्थिति, अपने कार्यकलापों के या अपने सदस्यों के कार्यकलापों के बारे में और उस संगम का प्रत्येक सदस्य अपने कार्यकलापों के बारे में केन्द्रीय सरकार को, ऐसी नियतकालिक विवरणियां देगा जो विहित की जाएं।

2. उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है तो वह, लिखित आदेश द्वारा-

   (क) किसी मान्यताप्राप्त संगम से, यथास्थिति, उसके कार्यकलापों के (या उसके किसी सदस्य के) कार्यकलापों के बारे में (अथवा उस संगम के किसी सरस्य के कार्यकलापों के बारे में) ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, लिखित रुप में देने की अपेक्षा कर सकती है, या

   (ख) ऐसे संगम के कार्यकलापों के या उसके किसी सदस्य के कार्यकलापों के बारे में जांच करने के लिए और ऐसी जांच के परिणाम की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय के भीतर जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, देने के लिए एक या अधिक प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रुप से कार्य करते हुए ऐसे संगम के शासी निकाय द्वारा जांच की जाए और रिपोर्ट दी जाए, और

   (ग) आयोग को किसी मान्यताप्राप्त संगम के या उसके किसी सदस्य के लेखाओं और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उन पर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देने का निदेश दे सकती है।

3. यदि किसी मान्यता प्राप्त संगम के कार्यकलापों के या उसके किसी सदस्य के कार्यकलापों के बारे में उपधारा (2) के अधीन कोई जांच प्रारंभ कर दी जाती है तो,-

(क) ऐसे संगम का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी,

(ख) ऐसे संगम का प्रत्येक सदस्य,

मूल उपधारा के धारा 7, 1960 का अधिनियम 62 द्वारा प्रतिस्थापित।

उसी प्रकार धारा 7 द्वारा पूरस्थापित।

   (ग) यदि संगम का सदस्य कोई फर्म का प्रत्येक भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, और

(घ) प्रत्येक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसने कारबार के दौरान खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के साथ व्यौहार किया है,

जांच करने वाले प्राधिकारी के समक्ष ऐसी जांच की विषय-वस्तु से संबंधित या उससे संबंद्ध सभी ऐसी बहियां, लेखे, पत्र- व्यवहार और अन्य दस्तावेज जो उसकी अभिरक्षा या शक्ति में हैं, पेश करने के लिए और प्राधिकारी को उससे संबंधित कोई ऐसा कथन या जानकारी, जिसकी उससे अपेक्षा की जाए, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, देने के लिए आबद्ध होगा।

4. प्रत्येक मान्यताप्राप्त संगम और उसका प्रत्येक सदस्य ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखेगा जो आयोग विनिर्दिष्ट करें और इस प्रकार विनिर्दिष्ट लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए परिक्षण किया जाएगा जो आयोग विनिर्दिष्ट करें और उनका सभी युक्तियुक्त समयों पर आयोग द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

9. मान्यताप्राप्त संगमों द्वारा आयोग का वार्षिक रिपोर्ट का दिया जानाः-

[(1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संगम अपनी वार्षिक रिपोर्ट की तीन प्रतियां आयोग को देगा।]

(2) उस वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी विशिष्टियां होगी जो विहित की जाएं।

9क. विशेष दशाओं में किसी फर्म या हिन्दू अविभक्त कटुम्ब के प्रवेश, सदस्यों के समूहीकरण, मतदान के अधिकारों, आदि को निर्बन्धित करने के बारे में नियत बनाने की मान्यता प्राप्त संगम की शक्ति

1. मान्यताप्राप्त संगम निम्नलिखित सभी या किन्दी विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकता है या अपने द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों में संशोधन कर सकता है, अर्थात्-

[(क) किसी फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब का सदस्य के रुप में प्रवेश,]

(ख)संगम के सदस्यों का उनके कृत्यिक या स्थानिक हितों के अनुसार समूहीकरण, प्रत्येक समूह के सदस्यों के लिए संगम के शासी निकाय में स्थानों का आरक्षण और ऐसे आरक्षित स्थानों पर सदस्यों की -

(i) सम्पृक्त समेह के सदस्यों द्वारा अनन्यतः निर्वाचन द्वारा,

(ii) संगम के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन द्वारा,

(iii) संगम के सभी सदस्यों द्वारा, उस प्रयोजन के लिए सम्पृक्त समूह के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्तियों में से निर्वाचन द्वारा नियुक्ति,

(ग) किसी बैठक में संगम के समक्ष रखे गए किसी विषय की बाबत मतदान के अधिकारों का केवल उन्हीं सदस्यों तक निर्बधंन जो, अपने कृत्यिक या स्थानिक हितों के कारण, उस विषय में वास्तविक रुप से हितबध्द है,

(घ) किसी बैठक में संगम के समक्ष रखे गए किसी विषय की बाबत मतदान के अधिकारों का इस प्रकार विनियमन जिससे कि प्रत्येक सदस्य को, संगम की साधारण समादत्त पूंजी में उसके शेयर को विचार में लाए बिना, केवल एक मत देने का हक हो,

(ङ) सदस्य के, किसी अन्य व्यक्ति को संगम की बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए अपना परोक्षी नियुक्त करने के अधिकार पर निर्बन्धन,

(च) प्रत्येक साधारण वार्षिक बैठक में सभी निदेशकों का या उनकी कुल संख्या में से ऐसी संख्या या अनुपात का निवर्तन जो नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए,

[(छ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो खण्ड (क) से खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।]

2. किसी मान्यताप्राप्त संगम के उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (छ) में निर्दिष्ट किया विषय के संबंधन में बनाए गए या संशोधित किए गए नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक वे केन्द्रीय जब तक वे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिए जाएं और उस सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित न कर दिए जाएं और इस प्रकार बनाए बए या संशोधित किए गए नियमों का अनुमोदन करने कें केन्द्रीय सरकार उनमें ऐसे उपांतर कर सकती है जो वह ठीक समझे और ऐसे प्रकाशन पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित नियम, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विधि मान्यतः बनाए गए समझे जाएंगे।

3. जहाँ अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 32) के प्रारंभ के पहले कोई नियम उपधारा (1) के खण्ड (ख) से खण्ड (ड) में और खण्ड (छ) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में बनाए गए हैं या संशोधित किए गए हैं वहाँ इस प्रकार बनाए गए या संशोधित किए गए नियमों के बारे में, केवल इस तथ्य के कारण कि इस प्रकार बनाए गए या संशोधित किए गए नियम कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के किसी उपबन्ध के विरुद्ध हैं, यह नहीं समझा जाएगा कि वे अविधिमान्य है या कभी भी अविधिमान्य थे।

10. नियम बनाए जाने का निदेश देने की या नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्तिः-

1. जब कभी केन्द्रीय सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है तब वह, लिखित आदेश द्वारा, किसी मान्यताप्राप्त संगम को ऐसी अवधि के भीतर जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नियम बनाने का या उस मान्यताप्राप्त संगम द्वारा बनाए गए नियमों का संशोधन करने का निदेश दे सकती है।
2. यदि कोई मान्यताप्राप्त संगम, जिसके विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किया गया है, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या उसकी उपेक्षा करता है तो केन्द्रीय सरकार या तो आदेश विनिर्दिष्ट, प्ररुप में या उसमें ऐसे उपान्तर करके जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, यथास्थिति, नियम बना सकती है या उस मान्यता प्राप्त संगम द्वारा बनाए गए नियमों का संशोधन कर सकती है।
3. जहाँ उपधारा (2) के अनुसरण में कोई नियम बनाए गए हैं या संशोधित किए गए है वहाँ इस प्रकार बनाए गए या संशोधित किए गए नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और, तब कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों वे सम्पृक्त मान्यताप्राप्त संगम द्वारा बनाए गए हैं या संशोधित किए गए हैं।

11. उपविधियाँ बनाने की मान्यताप्राप्त संगम की शक्तिः-

1. केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, कोई मान्यताप्राप्त संगम अग्रिम संविदाओं के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपविधियां बना सकता है।

2. विशिष्टतया और पूर्व गामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधियां निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकती है, अर्थात् :-

(क) बाजारों का खुलना और बन्द होना और व्यापार के समय का विनियमन,

(ख) संविदाओं और उनके अधीन अन्तरों के कालिक निपटान के लिए, माल के परिदान और उनके भुगतान के लिए, परिदान आदेश पारित करने के लिए समाशोधन गृह और उस समाशेधन गृह का विनियमन और अनुरक्षण

(ग) उन संविदाओं की संख्या और वर्ग जिनकी बाबत समाशोधन गृह के माध्यम से निपटान किए जाएंगे या अन्तरों का भुगतान किया जाएगा,

(घ) निपटान के लिए दिनों का नियम किया जाना, उनमें परिवर्तन किया जाना या उन्हें मुल्तवी किया जाना,

(ङ) बाजार भाव अवधारित और घोषित करना जिनके अंतर्गत माल के लिए खुलने के, बन्द होने के, सबसे ऊँचे और सबसे नीचे भाव भी हैं,

(च) संविदाओं के निबन्धन, शर्ते और अनुषंग जिनके अन्तर्गत मार्जिन अपेक्षाओं का, यदि कोई हो, और उनसे संबंधित शर्तों का, और लिखित संविदाओं के प्रारुप का विहित किया जाना भी है,

(छ) संविदाओं के लिए जाने, उनके पालन, विखण्डन और पर्यवसान का विनियमन जिनके अन्तर्गत सदस्यों के बीच या कमीशन अभिकर्ता और उसके ब्यौहारी के बीच, या किसी दलाल और उसके ब्यौहारी के बीच, या किसी मान्यताप्राप्त संगम के सदस्य और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच जो सदस्य नहीं है, संविदाएं और किसी क्रेता या विक्रेता या मध्यवर्ती के व्यक्तिक्रम या दिवाले के परिणाम, किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा किसी भंग या लोप के परिणाम, और ऐसे कमीशन अभिकर्ताओं पर दलालों के, जो ऐसी संविदाओं के पक्षकार नहीं हैं, उत्तरदायित्व है,

(ज) विनिर्दिष्ट वर्ग या प्रकार के माल की या माल के व्यौहारों की मान्यताप्राप्त संम के किसी सदस्य द्वारा स्वीकृति और उनका प्रतिषेध,

(झ) दावों या विवादों के निपटान की रीति और प्रक्रिया जिनके अन्तर्गत उनका माध्ययस्थम द्वारा निपटान भी है,

(ञ) फीस, जुर्माने और शक्तियों का उदग्रहण और वसूली,

(ट) किसी भी हैसियत में संविदाओं के पक्षकारों के बीच व्यापारक्रम का विनियमन,

(ठ) दलाली और अन्य प्रभारों का मान नियत करना,

(ड) सौदाओं का करना, उनका मिलान, निपटान और बन्द किया जाना,

(ढ) भावों और कीमतों में उतार-चढाव का विनियमन,

(ण) व्यापार में उद्भूत होने वाली आपात-स्थितियों और में शक्तियों का प्रयोग जिनके अन्तर्गत अधिकतम और न्यूनतम कीमतें नियत करने की शक्ति भी है,

(त) सदस्यों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की मात्रा के बारे में सीमाएं,

(थ) किसी एक सदस्य द्वारा किए जाने वाले व्यापार की मात्रा के बारे में सीमाएं,

(द) सदस्यों की ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण देने की और अपने कारबार से संबंधित ऐसी बहियां, जिनकी शासी निकाय द्वारा अपेक्षा की जाए, पेश करने की बाध्यता।

3. इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधियाँ,-

(क) उन उपविधियों को विनिर्दिष्ट कर सकती हैं, जिनमें से किसी का उल्लंघन किसी ऐसी संविदा को, जो उन उपविधियों के अनुसार नहीं की गई हैं, धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन शून्य बना देगा,

[(कक) उन उपविधियों को विनिर्दिष्ट कर सकती हैं, जिनमें से किसी ऐसी अग्रिम संविदा को, जो उन उपविधियों के अनुसार नहीं की गई है, धारा 15 की उपधारा (3ख) के अधीन अैध बना देगा,]

(ख) यह उपबन्ध कर सकती है कि उन उपविधियों में से किसी का उल्लंघन-

(i) सम्पृक्त सदस्य को जुर्माने का भागी बना देगा, या

(ii) सम्पृक्त सदस्य को मान्यताप्राप्त संगम से सं निष्कासन या निलग्बन का या बैसी ही प्रकृति की किसी ऐसी अन्य

शास्ति का भागी बना देगा जिसके अंतर्गत धन का संदाय नहीं है।

4. इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधियाँ पूर्व प्रकाशन के बारे में ऐसी शर्तों के अधीन होंगी जो विहित की जाएं और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी:
परन्तु केन्द्रीय सरकार, व्यापार के हित में या लोक हित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले मे। पूर्व प्रकाशन की शर्त से छूट दे सकती है।

12. मान्यताप्राप्त संगमों के बारे में उपविधियां बनाने या उनका संशोधन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति-

1. केन्द्रीय सरकार, या तो किसी मान्यताप्राप्त संगम के शासी निकाय से इस निमित्त लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर, या यदि उसकी राय में ऐसा करना समीचीन है तो, धारा 11 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपविधियां बना सकती है या उस धारा के अधीन ऐसे संगम द्वारा बनाई गई उपविधियों का संशोधन कर सकती है।
2. जहाँ, इस धारा के अनुसरण में, कोई उपविधियां बनाई गई हैं या संशोधित की गई हैं या संशोधित की गई हैं, वहां इस प्रकार बनाई गई या संशोधित की गई उपविधियां भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी (और तब इस प्रकार प्रभावी होंगी) मानों वे मान्यताप्राप्त संगम द्वारा बनाई गई हैं या संशोधित की गई हैं।
3. इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी मान्यता प्राप्त संगम का शासी निकाय केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन स्वप्रेरण से बनाई गई या संशोधित की गई किन्हीं उपविधियों के संबंध में आपत्ति करता है तो वह, उपधारा (2) के अधीन उनके प्रकाशन से छह मास के भीतर, केन्द्रीय सरकार को उनके पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है और केन्द्रीय सरकार उस मामले में संगम के शासी निकाय को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात इस प्रकार बनाई या संशोधित की गई उपविधियों का पुनरीक्षण कर सकती है और जहां इस प्रकार बना बनाई गई या संशोधित की गई कोई उपविधियां इस उपधारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई के परिणाम स्वरुप पुनरीक्षित की जाती हैं, वहां इस प्रकार पुनरीक्षित उपविधियाँ उपधारा (2) में उपबन्धित रुप में प्रकाशित की जाएंगी और प्रभावी होंगी।

4. इस धारा के अधीन किन्हीं उपविधियों का बनाया जाना या संशोधन या पुनरीक्षण सभी दशाओं में पूर्व प्रकाशन के बारे में ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो विहत की जाएं:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, व्यापार के हित में या लोक हित में, लिखित आदेश द्वारा, पूर्व प्रकाशन की शर्त से छूट दे सकती है।

शब्द "और भी, राज्य के कार्यालय राजपत्र में जिसमें मान्यता प्राप्त संस्था का मुख्य कार्यालय दिखाया गया हैं, उसी प्रकार धारा 11 द्वारा छोड़ दिया गया"

कुछ शब्द के लिए, धारा 12,- 1960 का अधिनियम 62 द्वारा प्रतिस्थापित

"बेशर्त कि पहले प्रकाशम"के लिए धारा 12, उसी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित

12क. विद्यमान अग्रिम संविदाओं की उपविधियों के संशोधन का लागू करना-

धारा 11 की उपधारा (3) के खण्ड (क) या खण्ड (कक) के अनुसरण में किए गए किसी संशोधन से भिन्न धारा 11 या धारा 12 के अधीन किसी उपविधि का कोई संशोधन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से पहले या उसके पश्चात पालन किए जाने के लिए बाकी रह गई सभी अग्रिम संविदाओं को भी लागू होगा।

12ख. मान्यताप्राप्त संगम के सदस्य को निलंबित करने की या उसे व्यापार करने से प्रतिषिध्द करने की आयोग की शक्तिः-

1. यदि व्यापार के हित में या लोकहित में आयोग किसी सदस्य को किसी मान्यताप्राप्त संगम में उसकी सदस्यता से निलम्बित करना या ऐसे सदस्य को अपने नाम से या किसी मान्यताप्राप्त संगम के अन्य सदस्य के माध्यम से किसी माल या माल के वर्ग के क्रय या विक्रय के लिए, अग्रिम संविदा करने से प्रतिषिध्द करना आवश्यक समझता है तो, तत्समय प्रवृत्त किसी मान्यताप्राप्त संगम के नियमों या उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, आयोग सम्पृक्त सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा, किसी संगम में की उसकी सदस्यता को निलम्बित कर सकता है या उसे कोई संविदा करने से प्रतिषिध्द कर सकता है।
2. उपधारा (1) अधीन किए गए आदेश में वह अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके लिए निलम्बन या प्रतिषेध प्रभावी है और ऐसी अवधि समय-समय

पर बढाई जा सकती है किन्तु वह कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. किसी मान्यताप्राप्त संगम के किसी सदस्य के बारे में उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, ऐसे आदेश की तारीख को या उससे पहले ऐसे सदस्य द्वारा, या सदस्य के साथ या सदस्य के माध्यम से की गई और उक्त तारीख को या उसके पश्चात पालन किए जाने के लिए बाकी रह गई अग्रिम संविदा की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगा, किन्तु आयोग ऐसी किसी अग्रिम संविदा को बन्द करने के लिए ऐसे आदेश में या किसी पश्चातवर्ती आदेश में ऐसा उपबंध कर सकता है जो वह ठीक समझे।

13. मान्यताप्राप्त संगम के शासी निकाय को अतिष्टित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति-

1. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित किन्हीं अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी मान्यता प्राप्त संगम के शासी निकाय को अतिष्ठित किया जाना चाहिए तो इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सम्पृक्त मान्यताप्राप्त संगम के शासी निकाय को यह हेतुक दर्शित करने का कि उस अतिष्टत क्यों न कर दिया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे संगम के शासी निकाय को छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्टित किया हुआ घोषित कर सकती है और उस शासी निकाय की सभी शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और पालन करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है और जहां एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जाते है वहाँ ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक को अध्यक्ष और ऐसे व्यक्तियों में से किसी दूसरे को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

धारा 13, 1960 का अधिनियम 62 द्वारा पुरः स्थापित

2. उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में किसी अधिसूचना के प्रकाशन के निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:-

(क) ऐसे शासी निकाय के जो अतिष्ठित कर दिया गया है सदस्य, अतिष्ठित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से ऐसे सदस्यों की हैसियत में पद पर नहीं रहेंगे,

(ख) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसे शासी निकाय की, जो अतिष्ठित कर दिया गया है, सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन कर सकता है या कर सकते हैं,

(ग) उस मान्यताप्राप्त संगम की ऐसी सभी सम्पत्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, लिखित आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे या करें कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिए उसे या उन्हें समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगी।

3. किसी विधि में या उस संगम के, जिसका शासी निकाय उपधारा (1) के अधीन अतिष्ठित कर दिया जाता है, नियमों यो उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस उपधारा के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा या करेंगे जो उस उपधारा के अधीन प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और केन्द्रीय सरकार, इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, ऐसी अवधि में समय-समय पर फेरफार कर सकती है।

4. इस धारा के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पद की अवधि के पर्यवसान पर मान्यताप्राप्त संगम अपने नियमों के अनुसार एक शासी निकायका तुरंत पुनर्गठन करेगा, परन्तु जब तक शासी निकाय का इस प्रकार पुनर्गठन न किया जाए, तब तक उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करता रहेगा या करते रहेंगे।

5. उपधारा (4) के अधीन निकाय के पुनर्गठन पर, उप मान्यताप्राप्त संगम की सभी सम्पत्ति जो उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों में निहित हो गई थी अथवा उसके या उनके कब्जे में थी, इस प्रकार पुनर्गठित शासी निकाय में, यथास्थिति, निहित या पुनर्निहित हो जाएगी।

14. **मान्यता प्राप्त संगमों के कारबार केा निलंबित करने की शक्ति :-** यदि व्यापार के हित में केन्द्रीय सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है तो

वह, राजपत्र, में अधिसूचना द्वारा, किसी मान्यताप्राप्त संगम को उसके ऐसे कारबार को सात दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलम्बित करने का निदेश दे सकती है और यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, व्यापार के हित में या लोकहित में ऐसा अपेक्षित है तो वह, इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, उक्त अवधि को समय-समय पर बढा सकती है।

परन्तु जहां निलम्बन की अवधि का एक मास से अधिक होना सम्भाव्य है वहाँ उस निलम्बन को ऐसी अवधि में अधिक के लिए बढाने वाली को अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक उस मान्यताप्राप्त संगम के शासी निकाय को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।

अध्याय - 3 क
रजिस्ट्रीयकृत संगम

14.क सभी संगमों द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्राप्त किया जाना-

1. अग्रिम संविदाओं से संबंधित कारबार के विनियमन और नियंत्रण से संपृक्त कोई संगम, अग्रिम संविदा (विनियमन संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 62) के प्रारंभ के पश्चात् (जिसे इसमें इसके पश्चात ऐसा प्रारंभ कहा गया है, ऐसा कारबार, आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार ही चलाएगा, अन्यथा नहीं।
2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम जो ऐसे प्रारम्भ पर विद्यमान है, ऐसे प्रारंभ से छह मास की समाप्ति के पहले, और उपधारा (1)में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम जो ऐसे प्ररम्भ पर विद्यमान नहीं है, ऐसा कारबार प्रारम्भ करने के पहले, ऐसे प्ररुप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो विहित की जाएं, आयोग को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगाः

   परन्तु आयोग स्वविवेकानुसार पूर्वोक्त छह मास की अवधि को समय-समय पर कुल मिलाकर एक वर्ष तक बढा सकता है।
3. इस धारा की कोई बात -

   (क) ऐसे प्रारम्भ पर विद्यमान किसी संगम की उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा किए गए आवेदन के निपटान तक अपना कारबार चलाने से प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी, या

   (ख) ऐसे प्रारम्भ पर विद्यमान किसी मान्यताप्राप्त संगम से उपधारा (2) के अधीन आवदेन करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी, और ऐसे प्रत्येक संगम को, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात यथाशीघ्र, आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निःशुल्क दिया जाएगा।

14.ख रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिया जाना या देने से इंकार किया जाना-

धारा 14 क के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, आयोग, ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दे सकता है या देने से इंकार कर सकता हैः

परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार करने से पहले, संगम को मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

14.ग रजिस्ट्रकृत संगमों को धारा 8 और धारा 12 ख का लागू होना- धारा 8 धारा 12 ख के उपबन्ध रजिस्ट्रीकृत संगम के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मान्यताप्राप्त संगम के संबंध में लागू होते हैं किन्तु-

(i) मान्यताप्राप्त संगम के प्रति निर्देशों के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत संगम के रखे जाएंगे, और

(ii) धारा 12 ख की उपधारा (2) में "तीन वर्ष"शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय - 4
अग्रिम संविदा और माल विकल्प करार

15. अधिसूचित माल में अग्रिम संविदाओं का कतिपय परिस्थितियों में अवैध या शून्य होना -

1. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि यह धारा ऐसे माल या माल के वर्ग को और ऐसे क्षेत्रों में लागू होगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं और तब, धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय या विक्रय के लिए प्रत्येक अग्रिम संविदा, जो उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मान्यताप्राप्त संगम के सदस्यों के बीच या किसी ऐसे सदस्य के माध्यम से या किसी ऐसे सदस्य के साथ किए जाने से भिन्न रुप में कि गई है, अवैध होगी।
2. उपधारा (1) के अनुसरण में किसी माल में की गई कोई ऐसी अग्रिम संविदा , जो धारा 11 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट उपविधियों में से किसी के उल्लंघन में हैं,-
   (i) उस मान्यता प्राप्त संगम के किसी ऐसे सदस्य के, जिसने ऐसी किसी उपविधि के उल्लंघन में संविदा की है, अधिकारों की बाबत शून्य होगी और
   (ii) किसी अन्य व्यक्ति के, जिसने जानबूझकर ऐसे संव्यवहार में भाग लिया है जिससे ऐसा उल्लंघन होता है अधिकारों की बाबत भी शून्य होगी।
3. उपधारा (2) की कोई बात मान्यताप्राप्त संगम के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी ऐसी संविदा को प्रवर्तित कराने के या ऐसी संविदा के अधीन या उसकी बाबत किसी धनराशि को वसूल करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगीः

   परन्तु यह तब जब कि ऐसे व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा संव्यवहार धारा 11 की उपधारा (3) के खण्ड (कक) के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट उपविधियों में से किसी के उल्लंघन में है, अवैध होगी।

(3क) उपधारा (1) के अनुसरण में किसी माल में की गई कोई ऐसी अग्रिम संविदा, जो संविदा की तारीख को धारा 11 की उपधारा (3) के खण्ड (कक) के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट उपविधियों में से किसी के उल्लंघन में है, अवैध होगी।

4. किसी मान्यताप्राप्त संगम का कोई सदस्य, मान्यताप्राप्त संगम के किसी सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल की बाबत अपने खाते कोई संविदा नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति की सहमति या प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो और वह क्रय या विक्रय के टिप्पण, ज्ञापन या करार में यह प्रकट नहीं करता है कि उसने, यथास्थिति, माल का क्रय या विक्रय अपने खाते किया है:

परन्तु जहां सदस्य ने ऐसे व्यक्ति की सहमति या प्राधिकार लिखित रुप से भिन्न रुप में प्राप्त किया है वहां वह ऐसे व्यक्ति से ऐसी सहमति या प्राधिकार की लिखित पुष्टि ऐसी संविदा की तारीख से तीन दिन के भीतर प्राप्त करेगा:

परन्तु यह और कि किसी सदस्य द्वारा मान्यता प्राप्त संगम के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ की गई किसी ऐसी संविदा की बाबत जो विद्यमान है, ऐसी संविदा को उपविधियों के अनुसार बन्द करने के लिए ऐसे व्यक्ति की सहमति या प्राधिकार उस दशा में आवश्यक नहीं होगा, जब वह सदस्य ऐसे बन्द करने की बाबत क्रय या विक्रय के टिप्पण के, ज्ञापन या करार में यह प्रकट करता है कि उसने, यथास्थिति, माल का क्रय या विक्रय अपने खाते किया है।

16. धारा 15 अधीन अधिसूचना के परिणाम - जहाँ धारा 15 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या व्यापार की किसी रुढि, प्रथा या किसी संविदा के निबन्धनों में या किसी सम्पृक्त संगम की किसी संविदा से संबंधित उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी :-

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय या विक्रय के लिए (अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले की गई) और उक्त तारीख के पश्चात पालन किए जाने के लिए बाकी रह गई प्रत्येक अग्रिम संविदा, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुरुप नहीं है, ऐसी दस पर बन्द की गई समझी जाएगी जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियत करे और ऐसी संविदाओं के विभिन्न बर्गों के लिए विभिन्न दरें नियत की जा सकती हैं।

(ख) इस प्रकार बन्द की गई समझी गई किसी संविदा के उद्भूत होने वाले सभी अन्तर खण्ड (क) के अधीन, नियत दर के आधार पर देय होंगे और विक्रता माल का परिदान करने के लिए और क्रेता माल का परिदान लेने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

17. कतिपय दशाओं में अग्रिम संविदाओं का प्रतिषेध करने की शक्ति-

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल या माल के वर्ग के क्रय या विक्रय के लिए ऐसी अग्रिम संविदा, जिसको धारा 15 के उपबन्ध लागू नहीं किए गए हैं, सिवाय ऐसे विस्तार और रीति के, कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात उसके उपबन्धों के उल्लंघन में की गई सभी अग्रिम संविदाएं अवैध होंगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है वहां अधिसूचना में किसी प्रतिकूल बात के अभाव में, धारा 16 के उपबन्ध, अधिसूचना में विर्निदिष्ट किसी माल के क्रय या विक्रय के लिए (अधिकसूचना की तारीख को या उससे पहले की गई) और उक्त तारीख के पश्चात पालन किए जाने के लिए बाकी रह गई सभी अग्रिम संविदाओं को उसी प्रकार लागू होंगे जिसे वे धारा 15 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय या विक्रय की सभी अग्रिम संविदाओं को लागू होते हैं।

18. अग्रिम संविदाओं के कतिपय वर्गों की बाबत विशेष उपबंध-

(1) अध्याय 3 या अध्याय 4 की कोई बात किसी माल के क्रय या विक्रय की अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को लागू नहीं होगीः

परन्तु कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में जिसको धारा 15 के उपबन्ध लागू किए गए हैं, न तो (मान्यताप्राप्त संगम से भिन्न) किसी ऐसे संगम का गठन करेगा और न उसके गठन में सहायता करेगा और न उसका सदस्य होगा, जो संविदा के पक्षकार को या उससे अथवा संविदा में नामित किसी दूसरे पक्षकार को या उससे, वास्तविक परिदान किए बिना या प्राप्त किए बिना उसके किसी पक्षकार द्वारा

अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट माल संविदा के पालन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।

(2) जहां किसी क्षेत्र की बाबत धारा 15 के उपबन्ध किसी माल या माल के वर्ग के क्रय विक्रय के लिए अग्रिम संविदाओं के संबंध में लागू किए गए हैं वहां केन्द्रीय सरकार, इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकती है कि उक्त क्षेत्र में या उसके किसी ऐसे भाग में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अध्याय 3 या अध्याय 4 के सभी या कोई उपबन्ध उक्त माल या माल के वर्ग के क्रय या विक्रय के लिए अन्तरणीय विनिर्दिष्ट माल संविदाओं के या तो साधारण तया लागू नहीं होंगे या विशिष्टतया ऐसी संविदाओं के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि व्यापार के हित में या लोक हित में किसी क्षेत्र में अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट माल संविदाओं का विनियमन और नियंत्रण समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकती है कि अध्याय 3 और अध्याय 4 के सभी या को उपबन्ध ऐसे क्षेत्र में अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट माल संविदाओं के किसी ऐसे माल या माल के वर्गों की बाबत जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू होंगे और वह ऐसी रीति विनिर्दिष्ट कर सकती है जिससे ऐसा विस्तार विनिर्दिष्ट कर सकती है जिस तक उक्त सभी या कोई उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे।

19. माल विकल्प करारों का प्रतिषेध -

(1) इस अधिनियम में या तत्समयाप्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात किए गए सभी माल विकल्प करार अवैध होंगे।

(2) इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले किया गया कोई माल विकल्प करार जो, उक्त तारीख के पश्चात पालन किए जाने के लिए, पूर्णतः बाकी रह गया है, उस विस्तार तक, शून्य हो जाएगा।

20. शक्तियां -

कोई व्यक्ति जो - - -

(क) (i) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित किसी विवरणी, कथन अन्य दस्तावेज में, यह जानते हुए कि वह मिथ्या है, कोई कथन करेगा जो किसी तात्विक विशिष्ट में मिथ्या है या तो तात्कि कथन करने का जानबूझकर लोप करेगा, या

(ii) इस अधिनियम या तद्धधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन कोई विवरण, कथन या अन्य दस्तावेज या कोई जानकारी देने या किसी प्रश्न का उत्तर देने या उनके अधीन की गई किसी अध्यापेक्षा का अनुपालन करने में बिना युक्तियुक्त प्रतिहेतु के (जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा) असफल रहेगा, या

(iii) धारा 14 के अधीनसूचना के अनुसारण में किसी मान्यताप्राप्त संगम के कारबार के निलम्बन की अवधि के दौरान कोई अग्रिम संविदा करेगा, या

(ख) मान्यताप्राप्त संगम से भिन्न किसी ऐसे संगम का, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है, सदस्य होगा या,

(ग) किसी ऐसी दर के संबंध में, जिस पर कोई अग्रिम संविदा किसी मान्यताप्राप्त संगम की उपविधियों में से किसी के उल्लंघन में की गई है, कोई जानकारी प्रकाशित या परिचालित करेगा, या

(घ) धारा 18 की उपधारा (1) के परन्तुक के उबंधनों के उल्लंघन में किसी संगम की उपविधियों में से किसी के उल्लंघन में किसी संगम का गठन करेगा, या उसके गठन में सहायता करेगा या उसका सदस्य होगा, या

(ङ) धारा 15 की उपधारा (1) या उपधारा (3क) या उपधारा (4), धारा 19 के उपबंधों में से किसी के उल्लंघन में कोई अग्रिम संविदा या माल विकल्प करार करेग,

दोषसिध्दि पर,-

(i). प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा,

(ii). धारा 15 की उपधारा (4) के उपबन्धों के उल्लंघन की बाबत किसी अपराध से भिन्न, खण्ड (घ) के अधीन या

खण्ड (ङ) के अधीन द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगाः परन्तु तत्प्रकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के भाव में, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, ऐसा कारावास एक माससे कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा।

21. माल में अग्रिम संविदा करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थान को अपने स्वामित्व में रखने या चलाने के लिए शक्ति -

कोई व्यक्ति जो ---

(क) किसी मान्यताप्राप्त संगम के स्थान से भिन्न किसी ऐसे स्थान को अपने स्वामित्व में रखेगा या चलाएगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में कोई अग्रिम संविदा करने के या उसका पालन करने के, चाहे पूर्णतः हो या भागतः प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, और जानते हुए ऐसे स्थान का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाना अनुज्ञात करेगा, या

(ख) केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में कोई अग्रिम संविदा करने में या उसका पालन करने में, चाहे पूर्णतः हो या भागतः सहायता करने के प्रयोजन के लिए, किसी मान्यताप्राप्त संगम से भिन्न किसी संगम का गठन करेगा या उसके गठन में सहायता करेगा या उसका सदस्य होगा, या

(ग) मान्यताप्राप्त संगम के स्थान से भिन्न किसी ऐसे स्थान का प्रबंध करेगा, नियंत्रण करेगा या उसको चलाने में सहायता करेगा, जो इस अधिनियम के उपन्बधों में से किसी के उल्लंघन में कोई अग्रिम संविदा करने के, या उसका पालन करने के चाहे पूर्णतः हो या भागतः, प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या जहां ऐसी अग्रिम संविदाएं अभिलिखित या समायोजित की जाती है या ऐसी अग्रिम संविदाओं से उद्भूत होने वाले अधिकार या दायित्व, चाहे किसी भी रीति से समायोजित, विनियमित या प्रवर्तित किए जाते हैं, या

(घ) किसी मान्यताप्राप्त संगम का सदस्य न होते हुए, किसी व्यक्ति को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करेगा या यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करेगा कि वह किसी मान्यताप्राप्त संगम का सदस्य है या इस अधिनियम के अधीन उसके माध्यम से अग्रिम संविदाएं की जा सकती हैं या उनका पालन, चाहे पूर्णतः हो या भागतः किया जा सकता है, या

(ङ) किसी मान्यताप्राप्त संगम का सदस्य न होते हुए, या ऐसे संगम के नियमों या उपविधियों के अधीन उस सदस्य के अभिकर्ता के रुप में प्राधिकृत न होते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में अग्रिम संविदाओं से संबंधित किसी कारबार के लिए, किसी भी रीति से, संयाचना करेगा, विज्ञापन करेगा या टाउट का काम करेगा, या

(च) इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में बोली लगाने या प्रस्थापन करने के लिए या किन्हीं अग्रिम संविदाओं को करने या उनका पालन, चाहे पूर्णतः हो या भागतः करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्याक्तियों को किसी मान्यताप्राप्त संगम की उपविधियों में विनिर्दिष्ट कारबार के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर संयोजित करेगा, एकत्र होने में सहायता करेगा, या

(छ) ऐसे माल की बाबत, जिाकों धारा 15 के उपबन्ध लागू किए गए हैं, अग्रिम संविदाओं के व्यापारक्रम को प्रभावित क रने वाला या प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या जानकारी देगा, उसे प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो यह जानता है या यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, या

(ज) धारा 15 के अधीन किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय या विक्रय के लिए अग्रिम संविदा की बाबत के बारे में चक्रचाल करेगा या चक्रचाल करने का प्रयास करेगा,

दोषसिद्ध पर,

(i) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा,

(ii) द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा, परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त करणों के अभाव में, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, ऐसा कारावास एक मास से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा

21क. संपत्ति का समपहरण करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति-

धारा 20 या धारा 21 के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण करने वाला कोई न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो ऐसे अपराध के लिए जो दण्डादेश वह अधिरोपित करे उसके अतिरिक्त, यह निदेश दे सकता है कि कोई धन, माल या अन्य सम्पत्ति, जिसकी बाबत अपराध किया गया है, केन्द्रीय सरकार को समपहत हो जाएगी।

स्पष्टीकरण-

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस संपत्ति के अन्तर्गत, जिसकी बाबत कोई अपराध किया गया है, बैंक में निक्षेप भी हैं यदि उक्त सम्पत्ति ऐसे निक्षपों में परिवर्तित की जाती है।

22. कंपनियों द्वारा अपराध-

1. जहां कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:-

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी घोर उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण-

(क) "कंपनी" से काई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या

वष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

22क. लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति-

1. कोई भी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, वारंट द्वारा, किसी पुलिस अधिकारी को जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे किसी स्थान में जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में की गई अग्रिम संविदाओं से या माल विकल्प करार से संबंधित लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें हैं या होने का युक्तियुक्त संदेह है, प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी बही या दस्तावेज का अभिग्रहण कर सकता है यदि उसकी राय में वह ऐसी किसी अग्रिम संविदा या माल विकल्प करार से संबंधित है।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन ली गई तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 98 के अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकार के अधीन ली गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

23. कतिपय अपराधों का संज्ञेय होना-

दण्ड प्रक्रिया संहिता किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित अपराध उस संहिता के अर्थ में संज्ञेय समझे जाएंगे, अर्थातः-

(क) धारा 20 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन अपने वाले अपराध जहां तक कि वह धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहने से संबंधित है,

(ख) धारा 20 के खण्ड (घ) के अधीन आने वाला अपराध,

(ग) धारा 15 की उपधारा (3क) या उपधारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन से भिन्न, धारा 20 के खण्ड (ड) के अधीन आने वाला अपराध,

(घ) धारा 21 के अधीन आने वाला अपराध।

24. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता -

प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान या विचारण नहीं करेगा।

अध्याय - VI
विविध

25. सलाहकार समिति :-

केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के प्रवर्तन से संबंद्ध किसी मामले के संबंध में सलाह देने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार उतनी संख्या में जो विहित की जाए, व्यक्तियों की एक सलाहकार समिति स्थापित कर सकती है।

26. प्रत्यायोजन की शक्ति :-

केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना में द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन जो विनिर्दिष्ट की जांए, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या उसके अधिकारी या प्राधिकारी भी हैं, प्रयोग की जा सकती है।

27. छूट देने की शक्ति :-

केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे क्षेत्रों में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी संविदा या संविदाओं के वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

27.क सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :-

1. कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के अधीन सदभावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो केन्द्रीय सरकार के या आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध किसी न्यायालय में न होगी।
2. कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो आयोग के अनुमोदन से या उसकी प्रेरणा पर और इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी मान्यताप्राप्त संगम के शासी निकाय या सिकी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के विरुद्ध या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में न होगी।

28. नियम बनाने की शक्ति :-

1. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है।

2. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्

   (क) आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्ते और निर्बन्धन,

   (ख) वह रीति जिससे मान्यता के लिए आवेदन धारा 5 के अधीन किए जा सकते हैं और उसकी बाबत फीस का उदग्रहण

   (ग) वह रीति जिससे किसी संगम को मान्यता देने के प्रयोजन के लिए कोई जांच की जा सकती है और वह प्रारुप जिसमें मान्यता दी जाएगी

   (गग) वह रीति जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन धारा
14. क के
अधीन किए जा सकते हैं और ऐसे आवेदनों की बसबता फीस का उदग्रहण,

   (घ) मान्यताप्राप्त संगमों की वार्षिक रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ,

   (ङ) वह रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन बनाई, संशोधित या पुनरीक्षित की जाने वाली उपविधियाँ, इस प्रकार बनाई, संधोधित या पुनरीक्षित की जाने के पहले आलोचन के लिए प्रकाशित की जाएगी,

   (च) धारा 25 के अधीन स्थापित सलाहकार समिति का गठन, समिति के सदस्यों की पदावधियाँ और उनकी रिक्तियों के भरने की रीति, वह अंतराल जिसके भीतर सलाहकार समिति की बैठकें की जा सकतीं हैं और ऐसी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वे मामलें जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सलाहकार समिति को सलाह के लिए निदेर्शित किए जा सकते हैं,

   (छ) कोइ अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

3. इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के सक्षम, जब वह कुल तीस

दिन अवधि के लिए सत्र में हों, उक्त अवधि एक सत्र में हो अथवा दो या उससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में हो, रखा जाएगा और यदि उक्त सत्र के तुरंत बाद चलने वाले सत्र की समाप्ति से पहले अथावा उपर्युक्त उत्तरवर्ती सत्रों की समाप्ति से पहले, दोनों सदन, उस नियम में कोई आशोधित रुप में प्रभावी होगा अथवा यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगा, तथापित ऐसे किसी आशोधन अथवा वातिलीकरण का, उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी काम की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

29. निरसन और व्यावृत्तिः-

यदि उस तारीख से ठीक पहले जिसको यह अधिनियम या इसमें अंतर्विष्ट कोई उपबंध किसी राज्य में किसी माल या माल के वर्ग को लागू किया जाता है उस राज्य में यथास्थिति इस अधिनियम की या इसमें अंतर्विष्ट किसी उपबंध की तत्स्थानी कोई ऐसी विधि प्रवृत्त है, जो इस माल या माल के वर्ग को लागू है वह विधि उक्त तारीख को निरसित हो जाएगी। परन्तु वह निरसन,-

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन पर या तदधीन सम्यकता की गई या सहन की गई किसी भी बात पर, या

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषधिकार या बाध्यता या दायित्व पर, या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर या,

(घ) किसी ऐसे अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर जो यथापूर्वोक्त किसी अधिकार, विशषधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत हो,

प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही संस्थित किया जा सकता है, चालू रखा जा सकता है या प्रवर्तित किया जा सकता है या प्रवर्तित किया जा सकता है और ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड वैसे ही अधिरोपित किया जा सकता है मानों यह अधिनियम पारित नहीं किया गया थाः

परन्तु यह और कि ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई भी बात या कार्रवाई, पूर्वतर्ती परन्तुक के अधीन रहते हुए (जिसके अन्तर्गत कोई भी की

गई नियुक्ति, जारी की गई अधिसूचना या आदेश, विरचित नियम, विनियमन, प्ररुप या उपविधि, या दी गई मान्यता भी है), इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार जब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती।

अग्रिम संविदा (विनियमन) नियमावली, 1954

1. संक्षिप्त नाम
2. परिभाषाएं
3. मान्यता के लिए आवेदन
3.क. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
4. मान्यता के लिए फीस
5. आवेदन के साथ फाइल किए जानेवाले दस्तावेज और उसमें दिए जानेवाले विवरण
6. अतिरिक्त सूचना मंगाने की शक्ति
7. मान्यता का दिया जाना
7.क. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
8. मान्यता का नवीकरण
8.क. लोप किया गया
9. मान्यता वापस लेना
9.क. रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार
10. कालिक विवरण प्रस्तुत करना
11. आलोचना के लिए उपविधियों के प्रकाशन की रीति
11.क. आलोचना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उपविधियों के प्रकाशन की रीति
12. वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियाँ
13. अपराध से संबंधित सूचना की संसूचना

अग्रिम संविदा (विनियमन) नियममावली, 1954

एस. आर, ओ, 2230 दिनांक 8 जुलाई, 1954:- अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम-** इन नियमों का संक्षिप्त नाम अग्रिम संविदा (विनियमन) नियम, 1954 है।
2. **परिभाषाएं-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) **"प्ररुप"** से इन नियमों से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है,

   (ख) **"अधिनियम"** से अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का
   74) अभिप्रेत है।

3. मान्यता के लिए आवेदन- अधिनियम की धारा 5 के अधीन किसी संगम की मान्यता के लिए आवेदन, प्ररुप "क" में तीन प्रतियों में, वायदा बाजार आयोग, मुंबई के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को दिया जाएगा।

***3क. रजिस्ट्रीय के लिए आवेदन:-** अधिनियम की धारा 14क के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, प्ररुप "घ" में तीन प्रतियों में, वायदा बाजार आयोग, मुंबई को दिया जाएगा।

+4. मान्यता फीस-

1. नियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन की बाबत दो हजार पांच सौ रुपये और नियम 3 क के अधीन प्रत्येक आवेदन की बाबत पचास रुपये फीस संदत्त की जाएगी।
2. फीस की रकम, (i) निकटतम सरकारी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जमा की जाएगी परंतु बंबई, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर और चेन्नई में यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाएगी, या (ii) सहायक सचिव, वायदा बाजार आयोग, मुंबई के पक्ष में किसी भारतीय स्टेट बैंक के क्रास मांगदेय ड्राफ्ड द्वारा या क्रास भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा विप्रेषित की जाएगी।

**3. इस प्रकार जमा की गई फीस की रकम, प्राप्ति शीर्ष -21 विविध प्राप्तियां- वायदा बाजार आयोग, उप महालेखकार, वाणिज्य, संकर्म और प्रकीर्ण, मुंबई द्वारा समायोज्य मदें - में जमा की जाएगी।

4. इस प्रकार जमा की गई रकम का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

++5. आवेदन के साथ फाइल की जानेवाली वाली विशिष्टियाँ- प्रत्येक आवेदक के साथ, संगम की उप-विधियों और नियमों की तीन प्रतियाँ और यथास्थिति, सरकारी खजाने, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त रसीद, या यथास्थिति, भारतीय स्टेट बैंक पर लिखा गया मांगदेय ड्राफ्ट या यथास्थिति, भारतीय पोस्टल आर्डर, जिसके द्वारा फीस जमा या विप्रेषित की गई है, संलग्न की जाएगी और प्ररुप क के उपाध में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत स्पष्ट विशिष्टियां दी जाएंगी।

++6. अतिरिक्त सूचना मंगाने की शक्ति- वायदा बाजार आयोग, आवेदक संगम से अपने द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी अतिरिक्त सूचनाएं जैसी वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

7. मान्यता का दिया जाना-

1. केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 6 के अधीन, किसी संगम को मान्यता देने से पूर्व, उस धारा में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त करने और जांच करने के अलावा, वायदा बाजार आयोग की सिफारिश पर भी विचार करेगी
2. किसी संगम को मान्यता प्ररुख ख में दी जाएगी, जिसमें वह माल या माल के वर्ग विनिर्दिष्ट होंगे जिनकी बाबत ऐसे संगम के सदस्यों के बीच या उनके द्वारा या सिकी ऐसे सदस्य से अग्रिम संविदाएं की जानी हैं और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:-
   (क) दी गई मान्यता ऐसी अवधि, जो एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जैसी जैसी मान्यता में विनिर्दिष्ट की जाए,
   (ख) संगम ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

+7क. रजिस्ट्रीकरण का किया जाना- "रजिस्ट्रीकरण" का प्रमाणपत्र - अधिनियम की धारा 14 क के खंड (3) के उपखंड (ख) के अधीन किसी संगम को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, प्रारुप "ड" में होगा और अधिनियम की धारा 14 ख के अधीन किसी संगम को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, प्ररुप "च " में होगा और प्रत्येक दशा में प्रमाणपत्र में उन शर्तों का, यदि कोई हो, जिनके अधीन प्रमाणपत्र दिया गया है, उल्लेख होगा।

8. मान्यता का नवीकरण-

1. मान्यता की अवधि समाप्त होने के तीन मास पूर्व, ऐसी मान्यता के नवीकरण का इच्छुक संगम, प्ररुप "क" पर तीन प्रतियों में, वायदा बाजार आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा।
2. मान्यता के नवीकरण के संबंध में नियम 3 नियम 4, नियम 5, और निमय 7 के उपबंध इस उपांतरण के साथ कि मान्यता के नवीकरण के आवेदन के संबंध में देय फीस एक हजार रुपये होगी, उसी, प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मान्यता दिए जाने के संबंध में लागू होते हैं।

8.क. लोप किया गया। *

9. मान्यता वापस लेना-

1. किसी संगम को दी गई मान्यता वापस लेने के पूर्व, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों का पालन करने के अलावा, वायदा बाजार आयोग की सिफारिश पर भी विचार कर सकेगी।
2. संगम को, अधिनियम की धारा 7 में विनिर्दिष्ट सुनवाई का उचित अवसर, एक सूचना द्वारा दिया जाएगा, जो प्ररुप "ग" में होगी।

==9.क. **रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार-** संगम, को अधिनियम की धारा 14 ख के परंतुक में निर्दिष्ट सुनवाई का अवसर, एक सूचना द्वारा दिया जाएगा जो प्ररुप "छ" में होगी।

+10. **कालिक विवरणियाँ प्रस्तुत करना -**

1. प्रत्येक मान्यताप्राप्त संगम और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत संगम, अपने कृत्यों और अपने सदस्यों के कृत्यों से संबंधित विवरणियाँ वायदा बाजार आयोग को ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर भेजेगा जैसे वायदा बाजार आयोग इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।
2. किसी मान्यता संगम का या किसी रजिस्ट्रीकृत संगम का प्रत्येक सदस्य अपने कृत्यों से संबंधित विवरणियां वायदा बाजार आयोग को ऐसे प्ररुप में और ऐसी समयों पर भेजेगा जैसे वायदा बाजार आयोग इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

+11. **आलोचना के लिए उपविधियों के प्रकाशन की रीति -** उन उप-विधियों, जिन्हें अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 11 की उपधारा (4) के अधीन पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए बनाया जाना है, निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) ऐसी उपविधियां बनाने वाला संगम, उसका प्रारुप संगम के सूचना पट्ट पर उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए लगाएगा जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

(ख) प्रारुप के साथ इस प्रभाव की एक सूचना भी लगाई जाएगी कि संगम एक निश्चित तारीख (जिसे इस नियम में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट तारीख कहा गया है) को या उसके पश्चात, जो ऐसे लगाए जाने की तारीख से सात दिन के पूर्व की नहीं होगी, उस प्रारुप पर विचार करेगा और विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, उक्त प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भी संगम द्वारा विचार किया जाएगा।

(ग) संगम और अनुमोदन देते समय केन्द्रीय सरकार भी, विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व संगम द्वारा प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगी।

==11.क. **आलोचना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उपविधियों के प्रकाशन की रीति-** उन दशाओं को छोड़कर जिनमें पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्ति दे दी गई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 12 के अधीन बनाई, संशोधित या पुनरीक्षित की गई किसी उपविधि के पूर्व प्रकाशन के लिए निम्नलिखित शर्तें होगी, अर्थात्-

(क) केन्द्रीय सरकार, उपविधि का प्रारुप या किसी उपविधि का संशोधन या पुनरीक्षण भारत के राजपत्र में उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगी जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

<u>सारणी - I</u>

वे वस्तुएं जिनमें धारा 15 लागू की गई है और जिसके द्वारा किसी मान्यताप्राप्त एसोसिएशन के सदस्यों के बीच अथवा उनके मार्फत अथवा किसी ऐसे सदस्य के साथ हुए वायदा संविदा को छोड़कर, सभी वायदा संविदाएं अवैध होती हैं :-

क्रम सं.	वस्तु	अधिसूचना संख्या एवं तिथि
	तिलहन और तेल	
1.	मूगफली	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
2.	मूगफली तेल	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
3.	मूगफली खली	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
4.	बिनौला	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
5.	बिनौला तेल	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
6.	बिनौला खली	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
7.	सिसम (तिल या जिंजिली)	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
8.	सिसम तेल	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
9.	सिसम खली	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
10.	खोपरा/नारियल	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
11.	खोपरा तेल / नारियल तेल	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
12.	खोपरा खली / नारियल खली	252 (ई) दिनांक

क्रम सं.	वस्तु	अधिसूचना संख्या एवं तिथि
	तिलहन और तेल	
		12/4/1999
13.	सैफ्फलावर	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
14.	सैफ्फलावर तेल	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
15.	सैफ्फलावर खली	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
16.	तोरिया बीज / सरसों	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
17.	तोरिया तेल / सरसों तेल	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
18.	तोरिया खली / सरसों खली	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
19.	चावल की भूसी	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
20.	चावल की भूसी का तेल	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
21.	चावल की भूसी की खली	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
22.	सूरज मुखी बीज	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
23.	सूरज मुखी तेल	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
24.	सूरज मुखी खली	252 (ई) दिनांक 12/4/1999
25.	आर बी डी पामोलिन	252 (ई) दिनांक 7/8/2000
26.	सोयाबीन	187(ई) दिनांक 1/3/2001

क्रम सं.	वस्तु	अधिसूचना संख्या एवं तिथि
	तिलहन और तेल	
27.	सोया तेल	187(ई) दिनांक 1/3/2001
28.	सोया आटा	187(ई) दिनांक 1/3/2001
29.	तिल	187(ई) दिनांक 1/4/2003
30.	तिल का तेल	187(ई) दिनांक 1/4/2003
31.	तिल का खली	187(ई) दिनांक 1/4/2003
32.	सिलरी बीज	187(ई) दिनांक 1/4/2003
	अनाज और दालें	
33.	गेहूँ	187(ई) दिनांक 1/4/2003
34.	चना	187(ई) दिनांक 1/4/2003
35.	ज्वार	187(ई) दिनांक 1/4/2003
36.	बाजरा	187(ई) दिनांक 1/4/2003
37.	मक्का	187(ई) दिनांक 1/4/2003
38.	रागी	187(ई) दिनांक 1/4/2003
39.	छोटा-मोटा - अनाज (कोदनकुलटी, कोदरा, कोर्रा, वरगु, सांवां, राला, काकुन, सनई, वारी एवं बांति)	187(ई) दिनांक 1/4/2003
40.	तुअर (अरहर)	187(ई) दिनांक

क्रम सं.	वस्तु	अधिसूचना संख्या एवं तिथि
	तिलहन और तेल	
		1/4/2003
41.	उड़द (मास)	187(ई) दिनांक 1/4/2003
42.	मूंग	187(ई) दिनांक 1/4/2003
43.	मोठ	187(ई) दिनांक 1/4/2003
44.	मसूर	187(ई) दिनांक 1/4/2003
45.	कुल्थी	187(ई) दिनांक 1/4/2003
46.	मटर	187(ई) दिनांक 1/4/2003
47.	लाख (खेसारी)	187(ई) दिनांक 1/4/2003
48.	जौं	187(ई) दिनांक 1/4/2003
49.	ग्वार	187(ई) दिनांक 1/4/2003
50.	चावल या धान	187(ई) दिनांक 1/4/2003
51.	अरहर चूनी	187(ई) दिनांक 1/4/2003
52.	मूंग चूनी	187(ई) दिनांक 1/4/2003
53.	तूअर (अरहर) दाल	187(ई) दिनांक 1/4/2003
54.	उड़द दाल	187(ई) दिनांक 1/4/2003

क्रम सं.	वस्तु	अधिसूचना संख्या एवं तिथि
	तिलहन और तेल	
55.	मूंग दाल	187(ई) दिनांक 1/4/2003
56.	चना दाल	187(ई) दिनांक 1/4/2003
	फाईबर और विनिर्माण	
57.	भारतीय रुई (पूरी तरह दबाई हुई, आधी दबाई हुई अथवा खली)	2522(ई) दिनांक 30/7/1954
58.	कपास	2456(ई) दिनांक 8/7/1964
59.	कृत्रिम रेशम सूत	2455(ई) दिनांक 8/7/1964
60.	जूट से बना माल (हेसियन और टाट / बोरे और कपड़ा और या थैले, रस्सियां और या किसी भी मिल द्वारा विनिर्मित सूत और / या किसी भी स्वरुप के विनिर्माण)	108(ई) दिनांक 6/2/2001
61.	कपास बीज कोष	108(ई) दिनांक 1/4/2003
62.	काटन सूत	108(ई) दिनांक 1/4/2003
63.	सूती कपड़ा	108(ई) दिनांक 1/4/2003
64.	कृत्रिम रेशम सूत	108(ई) दिनांक 1/4/2003
65.	कच्चा जूट (जिसमें मेस्ता भी है)	108(ई) दिनांक 1/4/2003
	मसाले	
66.	हल्दी	880(ई) दिनांक 11/4/1956
67.	काली मिर्च 2	880(ई) दिनांक

क्रम सं.	वस्तु	अधिसूचना संख्या एवं तिथि
	तिलहन और तेल	
		1/4/2003
68.	मेथी	880(ई) दिनांक 1/4/2003
69.	धनिया बीज	880(ई) दिनांक 1/4/2003
70.	सौंफ	880(ई) दिनांक 1/4/2003
71.	सुपारी	880(ई) दिनांक 1/4/2003
72.	इलयची	880(ई) दिनांक 1/4/2003
73.	मिर्च	880(ई) दिनांक 1/4/2003
74.	दाल चिनी	880(ई) दिनांक 1/4/2003
75.	लौंग	880(ई) दिनांक 1/4/2003
76.	सौंठा (अदरक)	880(ई) दिनांक 1/4/2003
77.	जायफल	880(ई) दिनांक 1/4/2003
	धातु	
78.	सोना	880(ई) दिनांक 1/4/2003
79.	चाँदी	880(ई) दिनांक 1/4/2003
80.	चाँदी के सिक्के	880(ई) दिनांक 1/4/2003
81.	तांबा, जस्ता, सिसा या टिन	880(ई) दिनांक

क्रम सं.	वस्तु	अधिसूचना संख्या एवं तिथि
	तिलहन और तेल	
		1/4/2003
	अन्य	
82.	एरंडी	333(ई) दिनांक 16/4/1985
83.	आलू	388(ई) दिनांक 15/5/1985
84.	गुड़	2733 दिनांक 10/8/1970
85.	चीनी (शक्कर)	430(ई) दिनांक 14/5/2001
86.	खांडसारी शक्कर	430(ई) दिनांक 1/4/2003
87.	लाख	430(ई) दिनांक 14/5/2003
88.	बीज लाख	430(ई) दिनांक 14/5/2003
89.	चारा या बरसीम (चारा बीज या बरसीम बीज बी इनमें शामिल है)	430(ई) दिनांक 14/5/2003
90.	कपूर	430(ई) दिनांक 14/5/2003
91.	चना छिल्का	430(ई) दिनांक 14/5/2003

प्ररुप - क

(नियम 3 और 8 देखिए)

अंग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन किसी संगम को मान्यता / मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन।

टिप्पणी - आवेदन तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

सेवा में,

. . . .

. . . .

. . . .

. .. .

विषय - अंग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अधीन मान्यता दिए जाने के लिए धारा 5 के अधीन मान्यता के आवेदन के संबंध में केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. . . . . तारीख . . . . .और प्रेस नोट / प्रमाणपत्र, तारीख . . . . के अनुसरण में, निकाल दे। हम / मैं . . . . (संगम का नाम और पता) की ओर से अग्रिम संविदाओं के नियंत्रण और विनियमन से संबंध्द होने के कारण, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ . . . . (माल या माल वर्ग का नाम) की बाबत मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन करते है / करता हूँ।

2. साधारण रुप में संगम के प्रबंध और गठन से संबंधित नियमों, ज्ञापन और संगम - अनुच्छेद की 6 प्रतियां और अग्रिम संविदाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए उप-विधियों की 6 प्रतियां संलग्न है।

3. इस प्ररुप के उपाबंध में अपेक्षित सभी आवश्यक, जानकारी संलग्न है। कोई भी अतिरिक्त जानकारी, जब और जैसे वायदा बाजार आयोग द्वारा मांगी जाएगी, दे दी जाएगी।

4. हम, मैं उक्त संगम की ओर से, अंग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उप-धारा (2) और (3) की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए वचनबंध करते हैं / करता हूँ।

5. 250 रुपये / 100 रुपये की खजाना रसीद सं. . . . . तारीख .. . . भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई पर लिखा गया क्रम संख्या मानदेय ड्राफ्ट सं . . . . तारीख क्रास पोस्टल आर्डर संख्या . . . . तारीख .. . .संलग्न है।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररुप - क क / उपाबंध

विशिष्टियां

भाग - I - साधारण

1. आवेदक का नाम
2. पता
3. स्थापना की तारीख
4. क्या आपका संगम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ?
5. यदि आपका संगम संयुक्त स्टाक कंपनी है तो अपनी प्राधिकृत, प्रतियुक्त पुरोधृत और समादत्त पूंजी का ब्यौरा दे। यदि अपने किसी अन्य रुप में, जैसे दिबेंचर जारी करके, अपनी पूंजी समुत्थापित की है तो उसका उल्लेख करें।
6. यदि आपका संगम लाभदायी संघटन है तो संगम का पूर्ववर्ती तीन वर्षे के संपरिक्षित तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा की दो प्रतियां सलग्न करें।
7. अपने संगम की पूंजी आस्तियों, अर्थात् सदस्यों से निक्षेप की रकम, आरक्षित निधि, स्थिर आस्तियां आदि की विशिष्टियां दें।
8. संगम द्वारा सदस्येतर व्यष्टियों की निधियों की सुरक्षा के लिए, जो कारबारों के संबंध मे सदस्यों के पास निक्षेप के रुप में हैं, क्या उपाबंध किया गया है।

भाग - II- सदस्यता

9. आवेदन के समय सदस्यों की संख्या।
10. यदि संभव है तो उन्हें कृपया मुख्य व्यापार हितों के अनुसार जैसे क्रेता, विक्रेता, दलाल, उगानेवाला, उपभोक्ता आदि के अनुसार वर्गीकृत करें।
11. सदस्यों के विभिन्न वर्गों (जैसे, पर्ण सदस्य सहयुक्त सदसय आदि) और संख्या का उल्लेख करें।
12. विभिन्न वर्गों के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों का विशिष्टियां उनके मताधिकार के संबंध में व्यौरा दें।
13. क्या आप आपने सदस्यों से कोई निक्षेप संगृहीत करते है यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।

14. सदस्यों के निक्षेप पर आप किस दर / दरों पर ब्याज देते है और उस रीति का भी उल्लेख करे जिसमें एसे निक्षेपों का उपयोग किया जाता है।
15. क्या आप अपने सदस्यों से कोई प्रवेश - फीस संग्रहीत करते हैं ? यदि हाँ तो कितनी।
16. विभिन्न वर्गों के सदस्यों के संबंध में आपका वार्षिक अभिदान की दरें क्या हैं।
17. कृपया बताए कि क्या आपके विद्यमान विधान में सदस्यों की संख्या सीमित करने के लिए कोई उपबंध हैं। यदि हां, तो उसके लिए कारण बताए और ब्यौरा दें।
18. यदि आठ सदस्यों की संख्या सीमित रखते हैं तो अधिकतम आप कितने सदस्यों को अभ्यावेशित कर सकते हैं ?

भाग - III - प्रबंध बोर्ड

19. आपके प्रबंध। निदेशक बोर्ड की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है ?
20. क्या आपके प्रबंधक / निदेशक बोर्ड का गठन सही तौर पर विभिन्न व्यापार हितों का जैसे- क्रेता, विक्रेता, दलाल, उगानेवाला, उपभोक्ता आदि का प्रतिनिधित्व करता है ? यदि नहीं, तो क्या आप उसमें इस प्रकार परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं कि वह उचित रुप में प्रतिनिधित्व कर सके ?
21. क्या आपके प्रबंध / निदेशक बोर्ड में राज्य सरकार / वाणिज्य / समितियों का कोई प्रतिनिधित्व हैं ? यदि हो तो कृपया उनके नाम और उनके द्वारा प्रतिनिधत्व किए गए हितों का उल्लेख करें।

भाग IV- व्यापार

22. उन वस्तुओं के नाम दें और अग्रिम संविदाओं (जैसे अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाएं, अंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाए, प्रतिरक्षा संविदाए आदि) का वणन करें, जिनमें आपने इसके पूर्व ब्यौहार किया है।
23. उन वस्तुओं के नाम दें और अग्रिम संविदाओं का वर्णन करें जिनमें आप इस समय व्यौहार कर रहे हैं।
24. कृपया किन्ही दो वर्षों, अधिमान्यतः हाल के वर्षों में, विभिन्न प्रकार की अग्रिम संविदाओं में वार्षिक व्यापारावर्त के लगभग आंकड़े निविदत्त

परिणाम और उसके मूल्य का तथा अपने समाशोधन गृह के माध्यम से परिनिर्धारित रकम का उल्लेख करें।

25. क्या आपका संगम व्यवहृत वस्तु / वस्तुओं के उत्पादक, वितरक या खपत केंन्द्र में स्थित हैं ?

26. यदि आपका संगम उत्पादक क्षेत्र में स्थित है तो अपने राज्य में उगाई जाने वाली फसल के आकार और अखिल भारतीय फसल से उसके संबंध का उल्लेख करें।

27. उस अवधि का उल्लेख करें जिसके दौरान आपके राज्य में उगाई गई फसल विपणन केन्द्रों को ले जाई जाती है।

28. यदि आपका संगम वितरण और/या खपत केन्द्र/केन्द्रों में स्थित है, तो वाणिज्य के प्रयोजन के लिए आपके बाजार में आने वाली लगभग मात्रा का उल्लेख करें।

29. आपके बाजार में भांडागार की सुविधाए किस सीमा तक उपलब्ध है।

भाग - V - तुरंत संविदाएं जब परिदान संव्यवहार की तारीख से 11 दिन के भीतर कर दिया जाना है

30. क्या आप वहां, जहां तैयार लाट बेची जाती हैं, '' हाजिर बाजार '' की व्यवस्था करते हैं ?

31. यदि हां, तो प्रधान क्रेता कौन है, अर्थात् -- व्यापारी, विनिधान कर्ता अथावा अंतः उपभोक्ता।

32. क्या आप व्यापार स्थान संव्यवहार के लिए कोई निश्चित मानक विहित करते हैं ? यदि हां, तो ब्यौरा दे।

33. तुरंत संव्यवहार में औसत वार्षिक व्यापारावर्त का उल्लेख करें।

भाग - VI - अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाएं

34. अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं के अर्थात् विनिर्दिष्ट परिदान संविदाए, जिनमें परिदान, संविदाओं में विनिर्दिष्ट पक्षकारों को संविदा

की तारीख से 11 दिन के पश्चात कर दिया जाता है, वार्षिक औसत व्यापारावर्त का उल्लेख करें।

35. उन रक्षोपायों का उल्लेख करें जिनका प्रयोग आप साधारणतः इन संविदाओं में कम से कम सट्टा होने देने की दृष्टि से करते हैं।

भाग - VII - अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाएं

36. यदि आप '' भावी '' या '' प्रतिरक्षा '' संविदाओं या अन्य प्रकार की अग्रिम संविदाओं के माध्यम से , जिनमें अंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान की व्यवस्था है, अग्रिम व्यापार कर रहे हैं तो इसकी प्रकृति स्पष्ट करें।
37. क्या आपका व्यापार '' गुट '' है ? कृपया ब्यौरा दें।
38. बाजार के खुलने और बंद होने के समय और व्यापार के घंटों के विनियमन का ब्यौरा दें।
39. क्या आपके यहां दलालों या फर्श - प्रचालकों के अनुज्ञापन या रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई प्रणाली हैं ?
40. अपने संगम द्वारा निर्धारित दलाली के मापमान और अन्य प्रभारों का ब्यौरा दें।
41. ''भावी'' '' प्रतिरक्षा'' या अन्य प्रकार की अग्रिम संविदाओं के बारे में विहित व्यापारिक इकाई का उल्लेख करें।
42. ऐसी संविदाओं का ''आधार'' क्या है (जैसे फाइल जरीला 25/32'', खानदेश बोल्ड, आदि) ?
43. आपकी श्रेणियाँ या वर्ग क्या हैं ?
44. क्या आपकी वर्तमान अग्रिम संविदाए संतोषप्रद रुप में कार्य कर रही हैं ?
45. क्या आपको अपनी वर्तमान संविदाओं के कार्यकरण के विरुध्द कोई शिकायत मिली हैं ? यदि ऐसा है तो उसके कारणों का संक्षेप में उल्लेख करें।
46. क्या आपको उनमें सुधार के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो ब्यौरा दें।
47. क्या आप उस स्थान से, जहां आपका संगम स्थित है, भिन्न आस्थानों पर वस्तु के परिदान की व्यवस्था करते हैं ? यदि हां, तो ऐसे आस्थानों के नाम दें।

48. आपके ''भावी'', '' प्रतिरक्षा'' या अन्य प्रकार की अग्रिम संविदाओं के प्रति अनुबध्द परिदान की अवधियाँ क्या हैं ?
49. क्या परिदान केवल विक्रेता के या क्रेता और विक्रेता दोनों के, विकल्प पर है ?
50. क्या आप ''भावी'', '' प्रतिरक्षा'' या अन्य प्रकार की अग्रिम संविदाओं में व्यापार के लिए कोई निश्चित मानक विहित करते है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें।
51. क्या आप व्यापार में आपातपूर्ति के लिए और '' अधिसंकुचन'' और ''मन्दडिया'' के निवारणार्थ रक्षोपायों की व्यवस्था करते हैं ?
52. आप दरों और कीमतो ं में उतार चढ़ाव किस प्रकार विनियमित करते हैं ?
53. क्या आप व्यापार के लिए अधिकतम और न्यूनतम कीमत सीमाए विहित करते हैं ? ब्यौरा दें।
54. क्या आप सदस्यों द्वारा उसके अपने लेख ब्यौहार के विनियमन की व्यवस्था करते हैं ?
55. क्या आपके संगम के सदस्य स्वयं अपने द्वारा किए गए कारबार की कालिक रिपोर्टे प्रस्तुत करते हैं ?
56. क्या आप किसी व्यष्टि सदस्य द्वारा किए गए व्यापार पर किसी सीमा का उपबंध करते हैं ?
57. अपने समाशोधन गृह के संगठन और प्रबंध का ब्यौरा दें।
58. संविदाओं के और उनके अधीन अंतरों के कालिक भुगतान, माल के परिदान और संदाय और परिदान आदेशों की स्वीकृति के लिए आपने क्या उपबंध किए हैं ?
59. निविदान योग्य श्रेणियों की कीमत - अंतर के नियतन के लिए आप ने क्या उपबंध किए हैं ?
60. उन संविदाओं के वर्ग और संख्या क्या हैं जिनकी बाबत समाशोधन गृह के माध्यम से संदत्त अंतरों का भुगतान किया जाता है।
61. आपका समाशोधन गृह, संविदाओं की पूर्ती के लिए क्या प्रत्याभूति यदि कोई है, देता है ?
62. आप भुगतान के दिन किस प्रकार नियत परिवर्तित या मुल्तवी करते हैं ?
63. आप बाजार, दरें, जिनके अंतर्गत खुला, बंद, उच्चतम और निम्नतम दरें भी है, किस प्रकार अवधारित और घोषित करते हैं ?

64. क्या आप मार्जिन अपेक्षाएं विहित करते हैं ? कृपयां ब्यौरा दें।

65. कृपया अपनी संविदा के मानक प्ररुप की तीन प्रतियां संलग्न करें।

66. आपने संविदाए किए जाने और उनके अनुपालन के लिए और विक्रेता या क्रेता या माध्यम के व्यक्तिक्रम या दिवाले के परिणामों के लिए और अन्य संबंधित बातों के लिए क्या उपबंध किए हैं ?

67. क्या आप सदस्यों से ऐसी जानकारी स्पष्टीकरण देने और उनके व्यवसाय संबंधी ऐसी बहियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं जिनकी आपके प्रबंध बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए।

68. क्या आप किसी सदस्य द्वारा किसी उपविधि के उल्लंघन की दशा में कोई शास्ति विहित करते हैं ?

भाग - VIII सर्वेक्षण और माध्यथ्म

69. क्या आप व्यापार विवादों के माध्यास्थम् के संबंध में या अन्यथा निविदत्त नमूनों के सर्वेक्षण के लिए सुविधा की व्यवस्था करते हैं।
70. क्या आप व्यापार विवादों के माध्यस्थम् के लिए तंत्र की व्यवस्था करते हैं ?
71. पिछले दो वर्षों के दौरान सर्वेक्षित नमूनों की संख्या और एसे व्यापार विवादों की संख्या का उल्लेख करें जिनमें माध्यस्थम् किया गया हैं।
72. आपने फीस, जुर्माने और शास्तियों के उद्ग्रहण और वसूली के लिए क्या उपबंध किए हैं ?

तारीख . . . .

भवदीय,

निदेशक /

सचिव

प्ररुप - ख

(नियम 7 और 8 देखिए)

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख . . . .

संख्या

केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन ". . . . ."(संगम का नाम और पता) द्वारा मान्यता / मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोकहित में होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संगम को . . . . को समाप्त होने वाले . . . . वर्ष के लिए, स्थायी आधार पर, ... (वस्तु या वस्तु वर्गो का नाम) में अग्रिम संविदाओं की बाबत, मान्यता देती है।

2. दी गई मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त संगम ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग समय-समय पर दें।

अधिकारी के हस्ताक्षर

मंत्रालय की मुद्रा

टिप्पण.-- मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन अवधि समाप्त होने से तीन मास पूर्व किया जाना चाहिए।

(यह प्रमाणपत्र, भारत के राजपत्र और इस राज्य के राजपत्र में भी जिसमें मान्यताप्राप्त संगम का प्रधान कार्यालय स्थित है, अधिसूचना के रुप में प्रकाशित किया जाएगा।)

प्ररुप - ग

[नियम 9 का उपनियम (2) देखिए]

मान्यता - प्रत्याहरण के विरुद्ध "कारण बताओं" सूचना

वायदा बाजार आयोग

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख. . . . .

संख्या

सेवा में,

. . . .

. . . .

. . . .

. .. .

(संगम का पता)

केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से, आपसे . . . . (अधिकारी का पदनाम) के कार्यालय में . . . .(तारीख) को . . . . (समय) बजे इस बाबत कारण बताने की अपेक्षा करती है कि . . . . (वस्तु या वस्तु वर्गों का नाम) (क्षेत्र या दोनों का नाम) में अग्रिम संविदा के संबंध में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं0 . . . . तारीख . . . . और प्रमाणप्रत्र संख्या . . . . तारीख . .. . द्वारा आपके संगम को दी गई मान्यता, इस सूचना के उपाबंध में दिए गए कारणों के लिए, क्यों न प्रत्याहत कर ली जाए।

मंत्रालय की मुद्रा

अधिकारी के हस्ताक्षर

@प्ररुप -- घ

(नियम 3 क देखिए)

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए (**टिप्पणी-** निवेदन तीन पत्रों में सादर करे)।

सेवा में,

. . . .

. . . .

. . . .

. .. .

विषय :- अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14क के अधीन संगम के रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन।

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 क के अधीन दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं0 . . . . तारीख . . . . के अनुसरण में, ...(संगम का नाम और पता) की ओर से, हम / मैं . . . . में संबंधित अग्रिम संविदाओं से कारबार के विनियमन और नियंत्रण से संबंद्ध होने के कारण, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं/करता हूँ।

2. साधारण रुप में संगम के प्रबंध और गठन से संबंधित निमयों, ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की तीन प्रतियां और अग्रिम संविदाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए उपविधियों की तीन प्रतियां संलग्न हैं।

3. प्ररुप के उपाबंध में अपेक्षित सभी जानकारी संलग्न है। कोई भी अतिरिक्त जानकारी, जब और जैसे ही वायदा बाजार आयोग द्वारा मंगी जाएगी, दे दी जाएगी।

4. हम / मैं, उक्त संगम की ओर से, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 क और धारा 14 ग की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए वचनबंध करते हैं। करता हूँ।

5. 50 रुपये के खजाना रसीद सं0 . . . . तारीख .. . . भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई पर लिखा गया क्रास मांगदेय ड्राफ्ट सं0 . . . . .

. . .. .. तारीख . . . . क्रास पोस्टल आर्डर सं0 . . . .
. . . तारीख . . . . संलग्न हैं।

भवदीय,

(आवेदक के
हस्ताक्षर)

प्ररुप घ का उपाबंध

क्रम संख्या	विशिष्टियां
(1)	(2)

1. आवेदक संगम का नाम
2. पता
3. स्थापना की तारीख
4. क्या आपका संगम,--
   (क) शेयर पूंजी द्वारा परिसीमित पब्लिक कम्पनी है।
   (ख) प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कम्पनी है।
   (ग) प्राइवेट परिसीमित कम्पनी है।
   (घ) कम्पनी अधिनियम, 1955 से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।
   (ङ) स्वैच्छिक संगठन है।
5. क्या आपका संगम लाभदायी संगठन है।
6. कृपया संगम की पिछले दो वर्षो का संपरीक्षित तुलन पत्र और लाभ-हानि लेख प्रस्ततु कीजिए।

भाग - II- सदस्यता

7. आवेदन के समय सदस्यों की संख्या।
8. प्रमुख व्यापारिक हितों के अनुसार जैसे, "विक्रेता," "क्रेता" "दलाल" "उपभोक्ता" आदि, सदस्यों का वर्गीकरण बताएं।
9. विभिन्न वर्गों के सदस्यों का, जैसे, पूर्ण सदस्य, सहयुक्त सदस्य, व्यापारी सदस्य, अव्यापारी सदस्य आदि का उल्लेख करें, और हर वर्ग की सदस्य संख्या बताएं।
10. विभिन्न वर्गों के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारियों का, विशिष्ट रुप में उनके मताधिकार का, ब्यौरा दें।
11. निम्नलिखित से संबंधित सदस्यता के लिए, शर्तों का उल्लेख करें:-

(क)	अंशपुंजी में अभिदान,	(ख)	प्रवेश फीस,
(ग)	निक्षेप,	(घ)	वार्षिक अभिदान।

12. सदस्यों के निक्षेप पर संदेय ब्याज की दर और जिस रीति से ऐसे निक्षेप का उपयोग किया जाता है उसका उल्लेख करें।

13. कृपया बताएं कि क्या आपके विद्यमान विधान में सदस्य -संख्या सीमित करने के लिए कोई उपाबंध है? यदि हाँ तो उसके लिए कारण बताएं और ब्यौरा दें।

भाग - III- प्रबंध बोर्ड

14. आपके प्रबंध / निदेशक बोर्ड की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है ?

15. क्या आपके प्रबंध निदेशक बोर्ड में राज्य सरकार / वाणिज्या समितियों के कोई प्रतिनिधि हैं ? यदि हाँ तो उनके नाम और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने - वाले हितों का उल्लेख करें।

भाग IV तैयार संविदाएं (परिदान संव्यवहार की तारीख से 11 दिन के भीतर कर दी जाएगी)

16. क्या आप तैयार संविदाओं की सुविधा प्रदान करते हैं? यदि हाँ तो उन वस्तुओं के नाम बताएं जिनके लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

17. विभिन्न वस्तुओं की बाबत तैयार संविदाओं में वार्षिक औसत व्यापारावर्त का अलग-अलग उल्लेख करें।

भाग- V- अग्रिम संविदाएं

18. वस्तुओं और विभिन्न प्रकार की अ म संविदाओं (जैसे अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, अन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, प्रतिरक्षा संविदा आदि) का नाम बताए जिनमें आपने पिछले दो वर्षों में व्यौहार किया है।

19. पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वस्तु के संबंध में की गई विभिन्न प्रकार की अग्रिम संविदाओं (जैसे अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, अंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा और प्रतिरक्षा संविदा) के वार्षिक व्यापारावर्त के लगभग आंकड़े, निविदत्त मात्रा, उसके मूल्य और आपके समाशोधन गृह के माध्यम से निपटाई धनराशि का उल्लेख करें।

20. उन रक्षोपायों का संक्षेप में उल्लेख करें जिन्हें आप ऐसी संविदा के अधीन विक्रेता के बीच परिदान सुनिश्चित करने के लिए साधारणतः प्रयोग में लाते हैं।

21. क्या आपका "गुट" है ? यदि हां तो ब्यौरा दें।

22. बाजार के खुलने और बंद होने के समय और व्यापार घंटों के विनियमन का ब्यौरा दें।
23. "प्रतिरक्षा " या अन्य प्रकार की अग्रिम संविदाओं के बारे मे विहित व्यापारिक इकाई का उल्लेख करें।
24. "प्रतिरक्षा " या किसी अन्य प्रकार की अग्रिम संविदाओं के आधार और ऐसी संविदाओं के लिए विहित निविदेय किस्मों का ब्यौरा भी दें।
25. क्या आप उस स्थान से, जहां आपका संगम स्थित है, भिन्न आस्थानों पर परिदान की व्यवस्था करते हैं? यदि हां, तो ऐसे आस्थानों का नाम बताएं?
26. "प्रतिरक्षा " या अन्य प्रकार की अग्रिम संविदाओं में अनुबध्द परिदान की अवधियां क्या हैं?
27. क्या आप व्यापार में आपात पूर्ति के लिए औ "अधिसंकृच" और "मंदड़िया" के निवाराणार्थ रक्षोपायों की व्यवस्था करते हैं? पिछले दो वर्षों के दौरान बाजार के उतार - चढ़ाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का संक्षिप्त लेखा - जोखा दीजिए।
28. क्या आपके संगम के सदस्य अपने द्वारा किए गए कारबार की कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते है ?
29. संविदाओं के और उसके अंतरों के कालिक भुगतान, माल के परिदान और संदाय, और परिदान आदेशों की स्वीकृति के लिए आपने क्या उपबंध किए हैं?
30. क्या आपका समाशोधन गृह संविदाओं की पूर्ति के लिए प्रत्याभूति देता है?
31. क्या आप मार्जिन अपेक्षाए विहित करते हैं? यदि हां, तो ब्यौरा दें।
32. अपनी संविदा के मानक प्ररूप की तीन प्रतियां संलग्न करें।
33. क्या आप सदस्यों से ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण देने और उनके कारबार से संबंधित ऐसी बहियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं जो आपके प्रबंध / निदेशक बोर्ड द्वारा अपेक्षित हों।
34. आप किसी सदस्य द्वारा उपविधि के उल्लंघन की दशा में किस प्रकार की शास्ति (जैसे जुर्माना, निलंबन, निष्कासन आदि) की व्यवस्था करते हैं।

भाग - VI -सर्वेक्षण और माध्यस्थम

35. क्या आप अपनी उविधियों के अधीन संविदाओं की पूर्ति में या अन्यथा निविदत्तमाल के नमूनों के सर्वेक्षण की व्यवस्था करते हैं ?

36. क्या आप व्यापार विवादों के लिए मध्यस्थ - तंत्र की व्यवस्था करते है ?

37. पिछले दो वर्षों के दौरान सर्वेक्षित नमुनों की संख्या और ऐसे व्यापार - विवादों की संख्या का भी उल्लेख कीजिए जिनसे माध्यस्थम् किया गया है।

तारीख . . . .

भवदीय,

सभापति / सचिव

प्ररुप ङ

(नियम 7 क देखिए)

वायदा बाजार आयोग

भारत सरकार

संख्या मुंबई, तारीख .. ..

वायदा बाजार आयोग, अंग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 14 क के खंड (3) क उपखंड (ख) के अनुसरण में , ...(संगम का नाम और पता) को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. . . . . अनुदत्त करता है।

2. अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाता है। (i) उक्त संगम एसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग समय - समय पर दे और (ii) उक्स संगम, इसमें नीचे विनिर्दिष्ट वस्तुओं के भिन्न वस्तुओं वायदा बाजार आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, वायदा व्यापार नहीं करेगा।

. . ..

. . ..

. . ..

. . ..

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

वायदा बाजार आयोग की मुद्रा

प्ररुप - च

(नियम 7 क देखिए)

वायदा बाजार आयोग

भारत सरकार

संख्या   मुंबई, तारीख .. ..

वायदा बाजार आयोग ने . . . . (संगम का नाम और पता) द्वारा अंग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, की धारा 14 क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए दिए गए आवेदन पर विचार कर लिया है और वह उक्त अधिनियम की धारा 14 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संगम का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करता है।

2. अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाता है। (i) उक्त संगम एसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग समय - समय पर दे और (ii) उक्स संगम, इसमें नीचे विनिर्दिष्ट वस्तुओं के भिन्न वस्तुओं वायदा बाजार आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, वायदा व्यापार नहीं करेगा।

. . ..

. . ..

. . ..

. . ..

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

वायदा बाजार आयोग की मुद्रा

प्ररुप -- छ

(नियम 9 क देखिए)

रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से इंकार के विरुध्द ''कारण बताओं'' सूचना

वायदा बाजार आयोग

भारत सरकार

प्रति

. . ..

. . ..

. . ..

वायदा बाजार आयोग, आपसे . . .. (अधिकारी का पदनाम) के कार्यालय में . . ..(तारीख) को इस बाबत कारण बताने की अपेक्षा करता है कि इस सूचना के उपाबंध में दिए गए कारणों के लिए आपके संगम को संगम को मान्यता देने से क्यों न इंकार कर दिया जाए ?

. . ..

. . ..

. . ..

. . ..

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

वायदा बाजार आयोग की मुद्रा